प्रेस नोट- मॉनीटरिंग सेल

जनपद शाहजहाँपुर

दिनांक 19.07.2025

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहांपुर पुलिस का सफलतम प्रयास

धारा 147/148/149/323/452/307/302/504 भादवि 3/25/27 आयुध अधिनियम व 9/25 आयुध अधिनियम के 05 आरोपियो को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 55 से 65 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 के आदेशानुसार जनपद में जघन्य अपराधों को कडी सजा से दण्डित करवाये जाने हेतु चलाये जा रहें ऑपरेशन कन्विक्शन के क्रम में श्री रमित शर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक महोदय, बरेली जोन बरेली व श्री अजय कुमार साहनी पुलिस महानिरीक्षक महोदय, बरेली परिक्षेत्र बरेली महोदय के निर्देशानुसार श्री राजेश द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के कुशल निर्देशन में, श्री देवेन्द्र कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर व श्री प्रियांक जैन, क्षेत्राधिकारी सदर/पार्टी प्रभारी के कुशल पर्य़वेक्षण में अपराधियों को शीघ्र एवं कठोर सजा दिलाने में शाहजहांपुर पुलिस को बडी सफलता प्राप्त हुई।

इस क्रम में मॉनीटरिंग सेल व थाना कांट पुलिस तथा अभियोजन विभाग द्वारा समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रूप से माननीय न्यायालय एएसजे/एफटीसी-02 में साक्षियों को साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के उपरान्त थाना कांट में आरोपीगण 1.अनिल पुत्र रामनाथ 2.नीरज 3.रामू पुत्रगण रामसनेही 4.अशोक पुत्र श्रीकृष्ण उर्फ मुखिया 5. शिवान्श उर्फ शिवान्शु उर्फ छोटू पुत्र राममूर्ति सर्व निवासीगण ग्राम लालपुर थाना कांट जनपद शाहजहांपुर द्वारा चबूतरे पर बैठे वादी, वादी के पिता, भाई व चचेरे भाई की गाली गलौज करते हुए अंधा-धुंध फायरिंग करना जिसमें वादी व वादी के पिता का गंभीर रूप से घायल होना व भाई अनुराग की मृत्यु हो जाने के आरोप में प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 55,000/- के अर्थदण्ड एवं रामू , शिवान्श व नीरज को आयुध अधिनियम के तहत 10-10 हजार रूपये अतिरिक्त से दंडित किया गया।

सजा प्राप्त किये अभियुक्त का विवरण

1.अनिल पुत्र रामनाथ 2.नीरज 3.रामू पुत्रगण रामसनेही 4.अशोक पुत्र श्रीकृष्ण उर्फ मुखिया 5. शिवान्श उर्फ शिवान्शु उर्फ छोटू पुत्र राममूर्ति सर्वनिवासीगण ग्राम लालपुर थाना कांट जनपद शाहजहांपुर

घटना व सजा का विवरण

मु0अ0सं0 185/2024 धारा 147/148/149/323/452/307/302/504 भादवि 3/25/27 आयुध अधिनियम व 9/25 आयुध अधिनियम थाना कांट जनपद शाहजहांपुर में आरोपीगण 1.अनिल पुत्र रामनाथ 2.नीरज 3.रामू पुत्रगण रामसनेही 4.अशोक पुत्र श्रीकृष्ण उर्फ मुखिया 5. शिवान्श उर्फ शिवान्शु उर्फ छोटू पुत्र राममूर्ति सर्वनिवासीगण ग्राम लालपुर थाना कांट जनपद शाहजहांपुर द्वारा चबूतरे पर बैठे वादी, वादी के पिता, भाई व चचेरे भाई की गाली गलौज करते हुए अंधा-धुंध फायरिंग करना जिसमें वादी व वादी के पिता का गंभीर रूप से घायल होना व भाई अनुराग की मृत्यु हो जाने के आरोप में प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 55000/- के अर्थदण्ड एवं रामू , शिवान्श व नीरज को आयुध अधिनियम के तहत 10-10 हजार रूपये अतिरिक्त से दंडित किया गया।